संख्या- 23/2019/2482 /अड़तीस-7-19-46नरेगा/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 11 अक्टूबर, 2019

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित आवासों के परिसर में सहजन का वृक्ष लगवाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अब तक कुल 12.43 लाख परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। अतः सम्यक विचारोपरान्त इन लाभान्वित परिवारों को उनके आवासीय परिसर में औषधीय गुणों से युक्त सहजन का पौधा रोपित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उपर्युक्त के अनुक्रम में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सहजन एक बहुउपयोगी वृक्ष है तथा इस पौधे के रोपण से लाभार्थी परिवारों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ इसके उपयोग से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी प्राप्त होगें। सहजन वृक्ष के पत्ते, फूल, फलियां, बीज व छाल सभी का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों जैसे- प्रोटीन, आयरन, बीटा कैरोटीन, अमीनो एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटीमिन ए, सी और बी काम्प्लेक्स की अधिकता होने के कारण इसे कुपोषण को रोकने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा इलाज में प्रयोग किया जा सकता है।

3- अतः आपसे अपेक्षित है कि कृपया अपने जनपद से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के आवासीय परिसर में सहजन के पौधों को लगाने तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कार्ययोजना बिना किसी विलम्ब के तत्काल बना ले, ताकि उनका रोपण पूरे प्रदेश में एक निर्धारित तिथि(जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी) को अभियान चलाकर सकुशल सम्पन्न कराया जा सके। कृपया इस संबंध में की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंदर अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास के ई-मेल आईडी- upregs@gmail.com पर अवश्य ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या- 23/2019/2482 (1)/अड़तीस-7-2019 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4- अपर आयुक्त,मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
6- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
7- समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।